



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112020-222922
CG-DL-E-03112020-222922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3498]
No. 3498]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/ कार्तिक 12, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3962(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) के खंड 3 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, केंद्र सरकार ने अनुसूची में वर्णित अधिकारियों के कॉलम (2) में वर्णित अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उक्त अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारियों के कार्यों को आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी किया जाएगा, जो राज्य से संबंधित अनुसूची के कॉलम (3) में संगत प्रविष्टि में निर्दिष्ट भूमि के खिंचाव के संबंध में है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 373 के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 373 के निर्माण (चौड़ीकरण/ फोर लेनिंग आदि), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के क्रमशः कॉलम (4), (5), (6) और (7) में वर्णित जिले, तालुक और गाँव कर्नाटक राज्य।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH373 कि.मी. 455.845 (नई शृंखला किलोमीटर.24.125) से कि.मी. 489.845 (नई शृंखला Km.58.125) पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	स्पेशल लैंड एकुजीशन अफसर एंड	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	कर्नाटक	हस्सान	बेलूर	1 मल्लिकार्जुनपुरा

	अथॉरिटी नेशनल हाइवेज बंगलारे 560001	NH373 के कि.मी. 24.125 से 58.125 तक				2 चिलकुरु
					हस्सान	1 चिक्कागडावल्ली

[फा. सं. 12014/63/2017-KNT/3a]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3962(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (widening / four laning etc,) maintenance, management and operation of the National Highway No. 373 in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH373 from Km. 455.845(new chainage Km.24.125) to Km.489.845 (new chainage Km.58.125) in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition officer and Competent Authority National Highways Bangalore 560001	24.125KM To 58.125KM	KARNATAKA	HASSAN		
					Belur	1 Mallikarjunapura
						2 Chilkuru
					Hassan	1 Chikkagaddavalli

[F. No. 12014/63/2017-KNT/3a]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.